

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

### कार्यालय आदेश

श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, और प्र० संस्थान, बेतिया को प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त और प्र० संस्थान, नरकटियागंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. बिहार कोषागार संहिता संहिता संख्या—(148) एवं नियम—84 (नया) के प्रावधानों के तहत श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, और प्र० संस्थान, बेतिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए और प्र० संस्थान, नरकटियागंज का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि और प्र० संस्थान, नरकटियागंज के प्राचार्य का प्रभार अविलम्ब ग्रहण कर निदेशालय को सूचित करें।

4. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

हो/-  
(संजय कुमार सिंह)  
निदेशक,  
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—टी—1/स्था०—(4)रा०—९१/2012—...../पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


हो/-  
निदेशक,  
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।  
ज्ञापांक— टी—1/स्था०—(4)रा०—९१/2012—...../पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:—जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हो/-  
निदेशक,  
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी—1/स्था०—(4)रा०—९१/2012—...../पटना, दिनांक— 4010 /पटना, दिनांक— 19.10.16

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना/श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, और प्र० संस्थान, बेतिया/श्री रामाशंकर पासवान, प्रभारी प्राचार्य, और प्र० संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा/आई० टी० मैनेजर/श्रम संसाधन विभाग/निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण—पक्ष) मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित।

  
निदेशक, 18/10/16  
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।